न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–294 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 294

अपीलाण्ट :–

मनोहरसिह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
जाति राजपूत निवासी सियाणा

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. जुंजारसिह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
जाति राजपूत निवासी सियाणा
तहसील व जिला जालोर

2. दौलतसिह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
जाति राजपूत निवासी सियाणा
तहसील व जिला जालोर

3. गोरखाराम पुत्र तारीया जाति
मेघवाल निवासी सियाणा तहसील व
जिला जालोर

4. राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार जालोर (रेस्पोडेण्ट
संख्या 2 व 3 प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के प्रकरण

संख्या 57 / 2023 निर्णय दि. 30.5.2024

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

2. श्री मो. शरीफ काजी, मो. सदाम काजी विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर के प्रकरण संख्या 57 / 2023 में निर्णय दिनांक 30.05.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अधिन न्यायालय में धारा 128, 129, आरएलआर एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सियाणा के खसरा नम्बर 1273, 2023, 4507/858, 4512/2021, 4513/2022, 4514/2025, 854, 855 रकबा 6.1600 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमे से खसरा नम्बर 2026, 4512/2021, 4513/2022, व 4514/2026 के अडौस पडौस में खसरा नम्बर 4517/2026, 2025 की खातेदारी अपीलाण्ट की स्थित है तथा खसरा नम्बर 4516/2026, 2025 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के खातेदारी स्थित है तथा खसरा नम्बर 2005 व 2006 रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के खातेदारी की स्थित है। यह भी बताया कि खसरा नम्बर 4516/2026 व 2025 के खातेदार व अपीलाण्ट आये दिन माठ को लेकर झगडा करते है तथा माठ को नुकसान पहुंचाते है। यह भी बताया कि खसरा नम्बर 4517/2026 कि खातेदार ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की भूमि को उसकी खातेदारी में मिला दी। इसलिए उसकी भूमि का सीमांकन कर स्थायी चिन्ह अर्थात पत्थरगढी करवाई जावे।

उपरोक्त प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अपीलाण्ट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि लक्ष्मणसिंहजी के चार पुत्र अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा नैनसिहजी है। प्रकरण में वर्णित भूमि व अन्य भूमि सभी को पिताजी से विरासत मे प्राप्त हुई है इसलिए चारो की खातेदारी भूमि का एक साथ सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई जावे। यह भी निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.1600 हैक्टर मे से अपीलाण्ट ने अपनी पत्नि पंचमकवर को 11/16 हिस्सा विकय की है तथा वह खातेदार है। यह भी बताया कि विभाजन में प्राप्त भूमि में करीब 5 वर्ष पूर्व 2 ट्यूबवेल खुदवाये तथा रहवासी मकान बनाया है जो कार्य रेस्पोडेण्ट की सहमति से किया गया है। सम्पुर्ण विभाजन का कार्य रेस्पोडेण्ट दौलतसिहजी ने करवाया है तथा उनके पास ही समस्त कागजात रहते थे उस समय अपीलाण्ट नाबालिग था इसलिए सम्पुर्ण भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी करवाये जावे।

दिनांक 30/05/2024 को उपरोक्त जवाब पेश होना उसी दिन जैर अपील निर्णय पारित कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत है।

अधिन न्यायालय ने विधि के प्रावधानो को ताक पर रखकर जैर अपील निर्णय पारित कर विधि व तथ्यो की भारी भूल की है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट सख्या 2 से दुरभिसंधी कर रखी है। इसी कारण रेस्पोडेण्ट सख्या 2 द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने जवाब मे सदभाविक रूप से निवेदन किया था कि सभी भाईयो की भूमि का सीमाकंन एंव पत्थरगढी करवाने का आदेश दिया जावे लेकिन अधिन न्यायालय ने इस पर किसी प्रकार की फाईडिंग दिये बिना केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जो अनुतोष चाहा था वही प्रदान किया तथा अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये

30/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

असंतोष को न तो स्वीकार किया, न ही खारिज किया, इस कारण जैर अपील निर्णय अपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट ने जवाब मे स्पष्ट कथन किया था कि खसरा नम्बर 2020 में से 11/16 हिस्सा उसके द्वारा पंचमकवर को पूर्व मे विकय कर दिया तथा वह खातेदार है फिर उसे न तो पक्षकार बनाया, न ही सनुवाई का अवसर दिया तथा उसके विरूद्ध भी एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया इस कारण भी अपील स्वीकार योग्य है।

जब रेस्पोडेण्ट संख्या एक के खातेदारी भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी किये जाने बाबत जैर अपील निर्णय पारित किया गया है तो ऐसी स्थिति मे दोनो पक्षो की भूमि का सीमांकन किये बिना पत्थरगढी संभव नही है। अधिन न्यायालय मे अपीलांट ने जवाब मे स्पष्ट लिखा है कि उसके पास राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि से अधिक एक इन्च भूमि नही है ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पास कम भूमि है तो उसकी ओट में अपीलांट की खातेदारी भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मौके पर दोनो के बीच दशको पुरानी माठे कायम है जिस पर बडे बडे पेंड खडे है तथा अपीलांट ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक की भूमि के चिपते दो टयूबवैल सालो पूर्व खुदवाये है तथा रहने हेतु मकान रेस्पोडेण्ट की सहमति से बनाया है जिसमे मय परिवार निवास है ऐसी स्थिति मे सीमांकन व पत्थरगढी के ओट में अपीलांट को रेस्पोडेण्ट बेदखल करना चाहता है जो कई दशको से अपीलाण्ट के पूर्णरूपेण अधिपत्य मे है तथा अपीलांट के ट्यूबवैल व मकान है। काबिज व्यक्ति को सीमांकन व पत्थरगढी की ओट में नहीं हटाया जा सकता है, इसके लिए अलग से धारा 183 आरटी एक्ट मे प्रावधान है तथा उस प्रावधानो के तहत भी उसका वाद मयाद विधि से वर्जित हो चुका है इस कारण Short cut माध्यम से उक्त आवेदन पेश कर विधि के विपरित जैर अपील निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्टिया ही खारिज योग्य है।

रेस्पोडेण्ट ने अधिन न्यायालय में अपने आवेदन में खसरा नम्बर 2025 व 4513/2022 अपीलांट की खातेदारी बताई है जबकि खसरा नम्बर 2025 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के खातेदारी की है।

जैर अपील निर्णय में यह अंकित किया गया है कि पूर्व मे दिनांक 12/5/2023 को रेस्पोडेण्ट सख्या एक ने सीमांकन करवाया था जो सही है। जब एक बार सीमांकन करवा दिया गया है तो दुबारा सीमांकन की आवश्यकता भी नही थी फिर भी इसकी ओट में अपीलाण्ट से दशको पूर्व का कब्जा माठे हटाकर रेस्पोडेण्ट लेना चाहता है इसी कारण से बिना प्रावधानो की पालना किये सीधे ही आदेश पारित कर दिया जबकि इस बाबत सारी कार्यवाही अधिन न्यायालय द्वारा की जानी थी लेकिन सारे अधिकार तहसीलदार को डेलीगेट कर दिये जो विधिनुसार नही है।

न्यायालय का कर्तव्य था कि अधिन न्यायालय के निर्देशन मे सभी पक्षो की उपस्थिति मे सीमांकन करवाकर रिर्पोट मगवाई जाकर उस पर सभी पक्षो को सुनकर फिर पत्थरगढी का आदेश दिया जाना था लेकिन बिना रिर्पोट मगवाये सीधे ही सारे अधिकार तहसीलदार को देकर विधि व तथ्यो की भारी भूल की है।

6/11/2018

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावे विकेल्पन अपीलांट द्वारा अधिन न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब में चाहे गये अनुतोष अनुरूप सभी भाईयो की खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाये जाने आदेश पारित फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुझ रेस्पो. की खातेदारी आराजी ग्राम सियाणा, पटवार हल्का सियाणा, भू.अभि.नि. सियाणा, तहसील व जिला जालोर में निम्न प्रकार आई हुई हैं –

नया खाता संख्या–1015

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
1273	2.7500	बारानी सोयम
2026	1.2400	बारानी सोयम
4507 / 858	1.2100	बारानी सोयम
4512 / 2021	0.0600	बारानी सोयम
4513 / 2022	0.1200	बारानी सोयम
4514 / 2025	0.6500	बारानी सोयम
854	0.1200	बारानी सोयम
855	0.0100	बारानी सोयम
कुल खसरे–8	6.1600 हैक्टर	

इसी माफिक मौके पर मुझ रेस्पो. का कब्जाकाश्त हैं तथा इसी अनुरूप राजस्व जमाबन्दी में मेरा नाम दर्ज इन्द्राज है,।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुझ रेस्पोडेण्ट की खातेदारी आराजी के खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर–2026, 4512 / 2021, 4513 / 2022 व 4514 / 2025 के अडौस–पडौस में खसरा नम्बर–4517 / 2026, 2025 वगैरा की खातेदारी आराजी अपीलाण्ट की आयी हुई है तथा खसरा नम्बर–4516 / 2026, 2025 अप्रार्थी संख्या–02 की आई हुई हैं तथा खसरा नम्बर–2005 व 2006 अप्रार्थी संख्या–03 की आई हुई हैं। अप्रार्थी संख्या–04 को फार्मल पक्षकार बनाया गया हैं।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुझ रेस्पो. के पडौसी खसरा नम्बर–4516 / 2026, 2025 के खातेदार आये दिन मुझ रेस्पो. के खातेदारी व प्रार्थी के खातेदारी के बीच की माठ को लेकर मुझ प्रार्थी के साथ अपीलाण्ट आये दिन झगडा–टंटा करते रहे हैं तथा मुझ रेस्पो. की माठ को आये दिन नुकसान पहुंचाते रहते है जिससे मुझ रेस्पो. के मन में किसी भी समय उक्त माठ को उखाड कर नुकसान कर क्षति कारित करने का भय मन बना रहता हैं तथा कभी भी अपीलाण्ट माठ को उखाड कर तारबन्दी आदि करने पर आमादा है।

30/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुझ रेस्पो. के खातेदारी आराजी के खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर–2026 रकबा 1.24 हेक्टर, खसरा नम्बर–4512/2021, रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर– 4513/2022 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर–4514/2025 रकबा 0.65 हैक्टर कुल खसरे–4, कुल रकबा 2.0700 हैक्टर को मुझ रेस्पो. को नाप कर पत्थरगढी के जरिये स्थायीचिन्ह अंकित कर आराजी प्राप्त करने के अधिकारी हूँ तथा ऐसी पुरी सम्भावना है कि मुझ रेस्पो. की खातेदारी का कुछ भाग खसरा नम्बर–4517/2026 में पडौसी खातेदारी के अन्दर मिला है। इसलिये उक्त कृत्य को छुपाने के लिये तथा मुझ रेस्पो. पर दबाव बनाने के लिये खसरा नम्बर–4517/2026 के खातेदार मुझ रेस्पो. की माठ को आये दिन क्षति पहुंचाते हैं तथा मुझ रेस्पो. के साथ झगडा टंटा करते रहते हैं। मुझ रेस्पो. के द्वारा पूर्व में श्रीमान् तहसीलदार महोदय जालोर को पैमाईश हेतु आवेदन किया था, दिनांक 12.05.2023 को सर्वे दल द्वारा मौका व रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो मौके पर पैमाईश की गई थी लेकिन अपीलाण्ट के द्वारा पैमाईश के स्थान पर तारबन्दी वगैरा नहीं करने दे रहे है तथा झगडा–टंटा कर माठ को क्षतिग्रस्त करने पर आमादा हैं। पैमाईश से ज्ञात हुआ कि मुझ प्रार्थी की कुछ आराजी पडौसी खातेदार अपीलाण्ट के हिस्से में मिली हुई हैं। अपीलाण्ट धन बल से सक्षम होने के कारण कभी भी तारबन्दी कर सकते हैं।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उक्त समस्या का समाधान हेतु मुझ रेस्पो. के खसरा नम्बर 2026, 4512/2021, 4513/2022, 4514/2025 कुल रकबा 2.0700 हैक्टर का सीमाकंन कर स्थायी चिन्ह अर्थात् पत्थरगिडी से सीमाकंन कर विवाद का निस्तारण हो सकता हैं। रेस्पो. के पास पत्थरगिडी के अलावा कोई विकल्प नही रहा हैं।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नं. 2026, 4512/2021, 4513/2022 व 4514/2025 कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या के 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालौर द्वारा मौजा सिंयाणा में स्थित खसरा नं. 2026, 4512/2021, 4513/2022 व 4514/2025 का राजस्व जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार स्थायी बिन्दु से नियमानुसार सीमांकन का आदेश पारित किया गया।

7. यहां पर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 का उद्धरण करना आवश्यक है जो निम्नानुसार है-

धारा 111– सीमाओं से सम्बन्धित विवादों का विनिश्चय

विवाद का निपटारा–(1) किसी सीमा से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में भूमि अभिलेख अधिकारी ऐसे विवाद का निपटारा, जहां तक संभव हो, विद्यमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर करेगा और जहां यह संभव न हो या ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हों, वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। यदि इस धारा के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
पाली (राज.)

अधीन किसी विवाद की जांच के दौरान भूमि अभिलेख अधिकारी स्वयं को इस बात के संबंध में संतुष्ट करने में असमर्थ है कि कब्जा किस पक्षकार के पास है या यदि यह दर्शित हो जाता है कि जांच प्रारंभ होने से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर वैध अधिभोगियों को गलत तरीके से बेदखल करके कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तो भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षिप्त जांच द्वारा यह पता लगाएगा कि कब्जे का सर्वाधिक हकदार पक्षकार कौन है और तत्पश्चात् तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।

धारा–128 सीमा विवाद

– सीमाओं से संबंधित सभी विवादों का निर्णय भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित तरीके से किया जाएगा परन्तु खेतों की सीमाओं के सम्बन्ध में आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा निपटाया जा सकेगा, यदि ऐसी सीमाओं के सम्बन्ध में कोई विवाद विद्यमान न हो, किन्तु समुचित सीमा–चिह्नों के अभाव के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

8. पटवारी हल्का सियाणां द्वारा दिनांक 12.05.2023 को तैयार मौका फर्द के अनुसार खसरा नं. 2026 4512/2021, 4513/2022 व 4514/2025 रकबा क्रमशः 1.2400, 0.06, 0.012 ,0.065 हैक्टेयर का सीमाज्ञान पैमाईश की गयी तथा मौका फर्द में अप्रार्थी संख्या संतुष्ट होना बताया है परन्तु विचाराधीन अपील के अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पत्रावली पर नही मंगवायी गयी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट आदेश पारित कर दिया है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय में 111,128 के द्वारा अपीलाण्ट का कब्जा हटाना चाहता है कब्जा हटाने के लिये धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि पक्षकारों के बीच विवाद न बढ़े इसलिये वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार सीमांकन करने का आदेश पारित किया गया इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2024 को पारित किया गया है व विधि सम्मत होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालौर के राजस्व प्रार्थना पत्र 57/2013 अनवान जुंझार सिंह बनाम मनोहर सिंह दिनांक 30.05.2024 को यथावत रखा जाता है

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन/बलहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

30/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner